

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013 (दिसम्बर)**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष \_\_\_\_\_

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम डॉ. शंकर साहू 2. वर्तमान धारित पद सहायक आंचिफर 3. कार्यालय का नाम रूरव्य इन्फिन्टा (सी.ए.ए.-डी.टी.)  
क.०१० पो. सी.टी. क. वि.०, जबलपुर 4. वर्तमान वेतन 23560/- + ग्रा.पे. + अन्य भत्ते 5. भविष्य निधि क्रमांक 23151202 6. कर्मचारी संख्या 90018480

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य मकान	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला-जबलपुर	निर्मित मकान	597.17 वर्ग फुट बिस्कि-393 + 393 वर्ग फुट	2500000/- (पट्टीय मकान)	स्वयं एवं पत्नी श्रीमति हंजुलता साहू	आर.पी.स्टेट बैंक अ.प्र.ग्रा.व. जबलपुर के अंतर्गत कर वर्ष 2006 में उभ किया	सही	—

हस्ताक्षर.....26/12/13  
नाम डॉ. शंकर साहू  
पद सहायक आंचिफर

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।